

(283) 176

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

शुद्धि पत्र

सं०सं०:- 9/विविध-13-05/2012 65697 स्वा०/राँची, दिनांक: 7/5/13

विभागीय अधिसूचना सं०- 38 (9) दिनांक 22.03.2013 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान (Post Graduate Medical) में नामांकन के लिए NEET P.G. Examination (Conducted by N.B.E.) द्वारा संचालित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नांकित पात्रता निर्धारित की गई है:-

(क) झारखण्ड राज्य के चिकित्सा संस्थान/महाविद्यालय से एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० परीक्षा उत्तीर्ण हों।

2. झारखण्ड राज्य के छात्रों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना संख्या 38 (9) दिनांक 22.03.2013 में कंडिका 'ख' के रूप में निम्न प्रकार समाविष्ट किया जाता है:-

(ख) झारखण्ड राज्य के निवासी जो बिहार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में राज्य गठन /2000 से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र अथवा इसके पूर्व बिहार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकित हुए हों और उन चिकित्सा महाविद्यालयों से एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे।

उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

7/5/13
(विनोद कुमार मिश्र)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 9/विविध-13-05/2012 65697 स्वा०/राँची, दिनांक:- 7/5/13

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, गजट प्रशाखा, झारखण्ड, राँची को शुद्धि पत्र की Soft Computerised की प्रति सी०डी० सहित ई-गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

7/5/13
(विनोद कुमार मिश्र)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 9/विविध-13-05/2012 65697 स्वा०/राँची, दिनांक:- 7/5/13

प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110301/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य, संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/5/13
(विनोद कुमार मिश्र)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 9/विविध-13-05/2012 65697 स्वा०/राँची, दिनांक:- 7/5/13

प्रतिलिपि:- सभी निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखण्ड/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखण्ड/निदेशक, रिम्स, राँची/प्राचार्य/अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, धनबाद/प्राचार्य/अधीक्षक, एम०जी०एम० चि० महा० अस्पताल, जमशेदपुर/परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/5/13
(विनोद कुमार मिश्र)

सरकार के उप सचिव।

75/69

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०-12/परी०-01-01/07...19/12 राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों/ संस्थानों में स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान / (Post Graduate Medical) में नामांकन के लिए निर्णय लिया जाता है कि वैसे छात्र स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान (Post Graduate Medical) झारखण्ड राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा संचालित परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे जो-

क) झारखण्ड राज्य के चिकित्सा संस्थान/ महाविद्यालय से MBBS/BDS परीक्षा उत्तीर्ण हो।

अथवा

ख) राज्य सृजन की तिथि (16/11/2000) अथवा उसके पूर्व बिहार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकित हुए हों और उन चिकित्सा महाविद्यालयों से MBBS/BDS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों और इस राज्य के निवासी हों।

यह अधिसूचना सत्र 2007 से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(श्री० अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव
दिनांक: 22/11/07

ज्ञापांक: 19 (12)

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, रांची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(श्री० अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव
दिनांक: 22/11/07

ज्ञापांक: 19 (12)

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्री० अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव
दिनांक: 22/11/07

ज्ञापांक: 19 (12)

प्रतिलिपि:- सचिव, चि० शि० एवं परिवार कल्याण, बिहार, पटना/ परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा मार्बद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(श्री० अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव